संख्या-74/2021/आई/145849/41-1002(001)/1/2021 पार्ट(3)

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 09 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अवशेष माहों के व्यय को वहन हेतु सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7495/21-1-1(पुनर्विनियोग)नजा0-66/2021, दिनांक 28.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के मानक मद-09-विद्युत देय में शासन द्वारा उपलब्ध प्रावधानित धनराशि रू0 150.00 लाख के सापेक्ष इसी लेखाशीर्ष के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 05.61 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के मानक मद-09-विद्युत देय में हो रही बचत से 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 05.61 लाख (रू0 पांच लाख एकसठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर-ई-466/2021, दिनांक 08 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन (नजारत), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने के पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम -44-पर्यटन विभाग | वित्तीय वर्ष 2021-22 | (धनराशि रूपए लाख में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | | निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजीट कोड में) राजस्व मद | आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) | लेखाशीर्ष (15 डिजीट कोड में) राजस्व मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के मानक मद-09-विद्युत देय | 150.00 | 16.81 | 05.61 | | | 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 30.00 | 35.61 | 05.61 | | |
| **कुल योग** | 150.00 | 16.81 | 05.61 | | | **योग-** | 30.00 | 35.61 | 05.61 | | |

नोट- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण:-

नोट:- 1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है। वित्तीयवर्ष 2021-22 में लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथाप्रशासन-03-अधिष्ठान के मानक 09-विधुत मद में रु0 150.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में इस मद में रु0 16.81 लाख कीआवश्यकता न होने के कारण इस मद में बचतसम्भावित है।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्तम्भ-8 मेंउल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणोंसे है। उक्त तालिका के स्तम्भ-9 में वर्णित अतिरिक्त व्यय वित्तीयवर्ष 2021-22 में उपलब्ध धनराशिसे अधिक धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है।

3. प्रमाणितकिया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहींहोता है।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 की वास्तविकआवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-आर-ई-466/2021, दिनांक 08 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. उप निदेशक, (नजारत) पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in